

STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF:

Higher Authority Decision No.

ATTN:
नियोक्ता

दावेदार

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के सामने **(दावेदार के) (नियोक्ता)** के द्वारा अपील लेबल संख्या-----के तहत अपील निर्णायक द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। रिकार्ड सबूत और समय पर प्रस्तुत किसी संक्षेप या लिखित तर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है।

रोजगार सुरक्षा कानून की आवश्यकता है कि विभाग इस तरह से सुनवाई आयोजित करे कि पार्टियों के बहुत जरूरी अधिकारों को सुरक्षित रखता है। N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(c) और (f); 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें। दूसरे शब्दों में सभी पार्टियों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मूल रूप से उचित प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए सभी पक्षों को सुने जाने का अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। पक्ष सुने जाने के अधिकार का आनंद लें, इसके लिए उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए। स्थाई कारण प्रक्रिया के लिए सभी पक्षों पर कानून के उचित और समान आवेदन करने की आवश्यकता होती है।

[ONLY IF APPLICABLE] - - - -अपील और सुनवाई: स्तर 1-(दावेदार) (नियोक्ता) को अपील करने के लिए एक प्रारंभिक निर्धारण पुस्तिका को निर्णायक लेबल संख्या द्वारा निर्धारित

की एक प्रति के साथ-----पर भेज दिया गया था। पुस्तिका के पैनल 5 और 6 पर (दावेदार) (नियोक्ता) को अधिसूचित किया गया था कि (उसे) अपील निर्णायक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए, भले ही निर्धारण (दावेदार) (नियोक्ता) के अनुकूल था। पुस्तिका में निम्न जानकारी भी शामिल है:

सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?

सुनवाई नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मामले के बारे में क्या कहा गया है, यह जानने के लिए नोटिस के साथ आए सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सुनवाई में कौन से गवाहों को गवाही देनी चाहिए। सभी दस्तावेज, रिकार्डिंग और सबूतों को, जो आपके मामले का समर्थन करते हैं, एकत्र करें। यदि सुनवाई फोन पर आयोजित की जाएगी, तो आपको सुनवाई की तारीख से पहले अपील निर्णायक और सभी पक्षों के लिए अपने सबूत की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए सभी पक्षों और अपील निर्णायक को देने के लिए पर्याप्त प्रतियां बनाएं। अगर आप अपील निर्णायक और अन्य पक्षों को प्रतियां प्रदान नहीं करते, तो अपील निर्णायक मामले का निर्णय करने के लिए उस सबूत को संज्ञान में नहीं ले पाएंगे। अपने गवाहों को चुनें और उन्हें सुनवाई के लिए उपलब्ध कराएं। प्रत्यक्षदर्शी और प्रथम-हस्त गवाही । प्रथम-हस्त गवाही में वे गवाह शामिल होते हैं, जिन्होंने गड़बड़ी को देखा, सुना या महसूस किया है। यदि कथित अपराध की कोई रिकार्डिंग है, तो रिकार्डिंग सबसे अच्छा सबूत है, गवाहों ने रिकार्डिंग में क्या देखा और सुना, उसके विषय में गवाह की गवाही को साक्ष्य के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा आरोप है जिसमें कोई पक्ष ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, या लिखित रूप में कुछे जमा करता है, जिसे आप मामले के लिए प्रासंगिक मानते हैं, तो आप इसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु आपको दस्तावेज की एक प्रति अपील निर्णायक और अन्य पक्षों को प्रदान करनी होगी। टेलीफोनिक सुनवाई के लिए अपील निर्णायक से संपर्क करके अपने गवाहों के नाम और फोन नंबर उपलब्ध करवाएं या अपनी नोटिस के साथ आई टेलीफोनिक सुनवाई प्रश्नावली को भरकर वापस भेजें। 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें।

अन्य जानकारियों के अलावा पुस्तिका यह सूचना भी देती है कि सुनवाई में क्या अपेक्षा की जाती है, सुनवाई को पुनर्निर्धारित कैसे किया जाए, क्या होगा यदि एक या दोनों पक्ष सुनवाई में उपस्थित न हों।]

(दावेदार) (नियोक्ता) उसकी अपील में जिसे किसी भी गवाही और/या किसी शपथपत्र और मामले पर अपील निर्णायक----- के समक्ष हुई साक्ष्य सुनवाई के दौरान उचित क्रास परीक्षा के

अधीन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। सुनवाई की नोटिस, प्रदर्शन संख्या----- सभी पक्षों को-----को भेजी गई। अन्य बातों के अलावा नोटिस यह भी कहती है:

HOW TO GIVE EVIDENCE : शपथबद्ध गवाही आवश्यक है। यदि आप गवाहों की गवाही दिलवाना चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई में ऐसा करना होगा। यदि आपके पास दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग या अन्य साक्ष्य हैं, जिन पर आप सुनवाई अधिकारी द्वारा विचार करवाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें सुनवाई अधिकारी और प्रत्येक पक्ष के पास भेजना या पहुंचाना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए।

यह पूर्वगामी लिखित नोटिस से स्पष्ट है कि (दावेदार) (नियोक्ता) को सभी गवाही और अन्य साक्ष्यों को साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत करने के दायित्व से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। 04 N.C. Admin. Code 24C .0201 में परिभाषित के अनुसार रिकार्डों की अनुपस्थिति या (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा उन्हें सुनवाई में उपस्थित होने से रोकने का कोई संकेत है। रिकार्डों में इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि (दावेदार) (नियोक्ता) को सभी साक्ष्य या दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने से रोका गया या 04 NCAC 24C .0207 के अनुसार सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने की प्रार्थना की जा रही है। इसलिए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया की पूर्ति होती है। बोर्ड को इस मामले को केवल इसलिए दोबारा नहीं खोलना चाहिए कि (दावेदार) (नियोक्ता) ने गवाही या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के अधिकार को संरक्षित नहीं किया था, या 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में परिभाषित के अनुसार सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने के लिए "अच्छा कारण" दिखाया है। "अच्छा कारण" यथोचित परिश्रम के अभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कार्य को करने में विफल रहने के लिए पर्याप्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए। Douglas बनाम J.C. Penney Co., 67 N.C. App. 344, 313 S.E.2d 176 (1984) भी देखें। इस उदाहरण में बोर्ड केवल सुनवाई में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित है। Patrick बनाम Cone Mills Corp., 64 N.C. App. 722, 308 S.E.2d 476 (1983).

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दावों के मामले में अंतिम तक्ष्य खोजक के रूप में, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य सक्षम प्रमाणों से समर्थित थे और उन्हें स्वयं के रूप में अपनाया गया था। बोर्ड ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों ने प्राप्त तथ्यों पर रोजगार सुरक्षा कानूनों (N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को यथार्थ व सही रूप से लागू किया गया है, जैसा कि पाया गया है, और परिणामस्वरूप निर्णय कानून व तथ्यों के अनुसार था।

अपीलीय निर्णायक का निर्णय (पुष्ट किया गया) (विपरीत) (संशोधित) है।

Higher Authority Decision No.

चार पृष्ठों में से तीसरा

दावेदारों को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए **अयोग्य** घोषित किया गया।

अयोग्य नहीं घोषित किया गया



और बेरोजगारी बीमा के लाभों

का परारंभ पराप्त होगा।

समीक्षा समिति के सदस्य Susan Doe और Joe Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस फैसले से सहमत हैं।

यह है:

BOARD OF REVIEW

.....

Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई हो। मेलिंग की तिथि इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील करने के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

APPEAL RIGHTS FOR JUDICIAL REVIEW

अपीलकर्ता द्वारा उच्च प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ अपील अपने निवास स्थान या अपने मुख्य व्यापार स्थल के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी प्रांत में निवास नहीं करती या इसका मुख्य व्यापार स्थल यहां के किसी प्रांत में नहीं है, तो अपील North Carolina के Wake County के

उच्चतम न्यायालय के लिपिक या North Carolina के उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज करवायी जाएगी, जहां विवाद उत्पन्न हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज किसी भी याचिका की प्रतियां रोजगार सुरक्षा ("Division")के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कार्यवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की प्रतियां व्यक्तिगत सेवाओं या मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय प्रक्रियाओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

A. John Q Lawyer
Chief Counsel

North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security

Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

NOTE: यदि आपको किसी अन्य पार्टी द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे जब तक कि आप : (1) याचिका प्राप्त होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं कर देते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलब्धता के अनुसार हस्तक्षेप के लिए एक प्रस्ताव दर्ज करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंपनी से व्यक्तियों को शामिल करते हुए) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील के अंतरगत कार्य करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही के कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दस्तावेज केवल कानूनी प्रतिनिधि

को भेजे जाएंगे। कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और प्रभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

30, जून 2013 या उसके बाद दर्ज किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरनिहित दावों के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले से प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोग्य पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उच्च प्राधिकरण निर्णय से अधिक भुगतान तैयार होने पर आपको विभाग के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के अतिरिक्त आप पर लागू होने वाले अन्य किसी दंड का भी निर्धारण करेगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त भुगतान के खिलाफ आप एक ही रास्ता चुन सकते हैं, जो उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए North Carolina के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है। अपनी याचिका में आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोग्यता या पात्रता के लिए और/या (2) इस परिणामी निर्धारण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है।

Appeal Filed:

Decision Mailed: